"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11333/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 34 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 34 सन् 2015)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(एक) जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित हो;	वही शुल्क जो ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण रकम के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(दो) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(तीन) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो पांच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गये औसत वार्षिक स्वामित्व की डेढ़ गुनी रकम या मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(चार) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो दस वर्ष से अधिक हो किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(पांच) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो बीस वर्ष से अधिक हो किन्तु तीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(छ:) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो तीस वर्ष से अधिक हो किन्तु एक सौ वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के आठ गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(सात) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो एक सौ वर्ष से अधिक हो या शाश्वत काल के लिये हो ;	वही शुल्क जो सम्पूर्ण स्वामित्व रकम, जो कि प्रथम साढ़े बारह वर्ष के पट्टे के संबंध में चुकाया या परिदत्त किया जायेगा, के बराबर बाजार मूल्य या एक चौथाई के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.

(आठ) जहां पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो;	वही शुल्क जो ऐसे औसत वार्षिक स्वामित्व, जो कि प्रथम दस वर्ष के लिये चुकाया या परिदत्त किया जायेगा यदि पट्टा उस अवधि तक चालू रहा हो, के रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.

परंतु यह कि इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) एवं (ग) में अंतर्विष्ट कोई बात, इस खण्ड के मामले में लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण- नीलामी के आधार पर खनि पट्टों के मामले में स्वामित्व को छोड़कर अन्य किसी राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा."

4. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 3 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की अनुसूची 1-क में छत्तीसगढ़ राज्य में मुद्रांक शुल्क की प्रभार्यता के प्रावधान किये गये हैं;

और यत:, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 25-08-2014 को दृष्टिगत रखते हुए विधिक पहलू को स्पष्ट करने के क्रम में, यह स्पष्ट किया गया है कि कोल ब्लाक का आबंटन सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध करते हुए नीलामी के माध्यम से किया जायेगा, अत: यह आवश्यक हो गया था कि नीलामी के माध्यम से आबंटित कोल ब्लाक के मामले में स्टाम्प ड्यूटी की संगणना के लिए विशेष प्रावधान करें. अतएव विधानसभा सत्र चालू न होने के कारण, आवश्यक संशोधन भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 3 सन् 2015) प्राख्यापित करते हुए किया गया.

रायपुर,
दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

1. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के सुसंगत उद्धरण

35 पट्टा- जिसके अंतर्गत शिकमी पट्टा (अण्डर लीज) या उस पट्टा तथा पट्टे पर देने के लिए कोई करार आता है-

(क) जहां ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया हो तथा कोई प्रीमियम चुकाया या परिदत्त न किया गया हो-

(एक) जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित हो;	वही शुल्क जो ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण रकम के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है;
(दो) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है;
(तीन) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो पांच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गये औसत वार्षिक भाटक की डेढ़ गुनी रकम या मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है;
(चार) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो दस वर्ष से अधिक हो, किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(पांच) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो बीस वर्ष से अधिक हो, किन्तु तीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(छ:) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो तीस वर्ष से अधिक हो, किन्तु एक सौ वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो वार्षिक बाजार भाटक की रकम या मूल्य के आठ गुने के बराबर के बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण-पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है.
(सात) जहां पट्टा एक सौ वर्ष से अधिक की अवधि के लिये या शाश्वत काल के लिये तात्पर्यित हो;	वही शुल्क जो साढ़े बारह वर्ष के पट्टे में देय बाजार भाटक के बराबर बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण-पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है.
(आठ) जहां पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो;	वही शुल्क जो ऐसे औसत वार्षिक भाटक की, जो कि प्रथम दस वर्ष के लिये उस दशा में चुकाया या परिदत्त किया जायेगा जब कि पट्टा उस अवधि तक चालू रहा हो रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.